मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/चंदेरी/37/517 भोपाल, दिनांक 4/10/2024

प्रति

संयुक्त संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - ग्वालियर।

भारसाधक अधिकारी / सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति
चंदेरी जिला अशोकनगर।

विषय - **कृषि उपज मंडी समिति चंदेरी में फल एवं सब्जी विपणन के संबंध में।**

राज्य शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-6-2015-चौदह-3 दिनांक 29.05.2015 (परिशिष्ट - 1) एवं अधिसूचना क्रमांक डी-15-28-2006-चौदह-3 दिनांक 23.10.2009 (परिशिष्ट - 2) का संदर्भ ग्रहण करें। छायाप्रति संलग्न है।

2. मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 71 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-15-6-2015-चौदह-3 दिनांक 29.05.2015 अनुसार, मंडी समिति मुंगावली से विपाटित कर पृथक्, मंडी समिति चंदेरी स्थापित की गई है। मंडी समिति चंदेरी की स्थापना के संबंध में जारी अधिसूचना में "अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज" के लिए मंडी स्थापित किए जाने का उल्लेख है।

3. पूर्व में मंडी समिति मुंगावली के मंडी क्षेत्र अंतर्गत फल एवं सब्जी के विपणन पर मंडी फीस अधिरोपण संबंधी राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-15-28-2006-चौदह-3 दिनांक 23.10.2009 जारी है।

4. अधिनियम की धारा 75 अंतर्गत मंडी समिति के विपाटन के परिणाम के निम्नलिखित प्रावधान स्थापित है -

धारा 75. विपाटन का परिणाम -

(1) किसी मंडी क्षेत्र को दो या अधिक मंडी क्षेत्रों में विपाटित करते हुए धारा 71 के अधीन अधिसूचना के जारी होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्, -

(क) ऐसे समस्त नियम, उपविधियां तथा आदेश, जो धारा 71 के अधीन ऐसी मंडी समिति के मंडी क्षेत्र का विपाटन किया जाने के ठीक पूर्व मूल मंडी समिति के क्षेत्र प्रवृत्त थे, नवीन मंडी समितियों में समाविष्ट क्षेत्रों में तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक उन्हें

इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित, संशोधित या रद्द न कर दिया जाय;

5. इस संबंध में मंडी समिति मुंगावली से विपाटित कर मंडी समिति चंदेरी की स्थापना करने के उपरांत, अधिनियम की धारा 75 अंतर्गत उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, पूर्व में मंडी समिति मुंगावली के लिए प्रभावशील नियम, उपविधियां, आदेश, नवीन विपाटित नवीन मंडी समिति चंदेरी के लिए भी यथास्थिति स्वमेव लागू है।

6. अतः मंडी समिति चंदेरी के क्षेत्रांतर्गत फल सब्जी के विपणन पर मंडी फीस अधिरोपण के प्रावधान - राज्य शासन की अधिसूचना डी-15-28-2006-चौदह-3 दिनांक 23.10.2009 अनुसार यथास्थिति प्रभावशील होंगे।

अतः इस संबंध में नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाए।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(एम. सेल्वेंद्रन)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/चंदेरी/37/518 **भोपाल, दिनांक 6/10/2024**

प्रतिलिपि - **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -**

1. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला - अशोकनगर।
3. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।
5. विधि शाखा / गार्ड फाईल / परिपत्र फाइल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट-1

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2015—ज्येष्ठ 8, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-6-2015-चौदह-3 दिनांक 25 मार्च, 2015 के द्वारा राज्य सरकार ने अशोकनगर जिले की चन्देरी तहसील के समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये चन्देरी में पृथक मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी.

अतएव कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में अशोकनगर जिले की तहसील चंदेरी के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये चंदेरी में पृथक मंडी स्थापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th May 2015

No. D-15-6-2015-XIV-3.—WHEREAS, vide this department Notification No. D-15-6-2015-XIV-3 dated 25 March 2015 issued under the provision of sub-section (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973) the State Government hereby declares its intention to establish a Seperate market at Chanderi for regulating the purpose and sale of the Agricultural produce mentioned in the shedule of the said Act, including all Revenue and Forest villages of Tehsil Chanderi in Ashoknagar district.

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973), the State Government hereby establish a separate market at Chanderi for regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the/act, including all revenue and forest villages of the Tehsil Chanderi in Ashoknagar district.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145-13 दिनांक 9 जून, 1953 द्वारा तत्कालीन जिला गुना अब ज़िला अशोकनगर की तहसील मुंगावली एवं चंदेरी के मंडी क्षेत्र मुंगावली में (जो इसमें इसके पश्चात ''उक्त मंडी क्षेत्र'' के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-6-2015-चौदह-3 दिनांक 25 मार्च, 2015 द्वारा अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् ''उक्त मंडी क्षेत्र'' के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से ''उक्त मंडी क्षेत्र'' को अशोकनगर जिले की चंदेरी मंडी के ''उक्त क्षेत्र से'' विपाटित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th May 2015

No. D-15-6-2015-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 6139/6628 dated 13-9-1962 issued under the provisions of section 3 of Sub-Section (3) of the Madhya Pradesh Krishi Uapj Mandi Adhiniyam 1960 (No. 19 of 1960), the State Government here by regulated the pruchase and sale of the Agricultural produce specified in

the said Notification in the area of Tehsil Mungawali and Chanderi in Ashoknagar District, (here in after referred to as the "said market area").

AND WHEREAS by this department Notification No. D-15-6-2015-XIV-3.—dated 25-03-2015 issued under the provision of clause (iii) of sub section (1) of section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government has signifies it's intention to the said Market area by split up there from the area comprising of villages situated Chanderi Tehsil of Ashoknagar district, (here in after referred to as the said area).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub secton (2) of section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here establish a seperate market at Chanderi by splitting the "Said market area" from the "said area."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 मार्च 2015 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति चंदेरी के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

नगरपालिका चंदेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.747 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	190/1	6.747
	योग . .	6.747

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—प्रस्तावित गौशाला की भूमि.
दक्षिण में—खसरा नं. 189 की भूमि.
पूर्व में—मुंगावली—चंदेरी रोड.
पश्चिम में—खसरा नं. 180 की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th May 2015

No. D-15-6-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the

following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Chanderi has been established by this department's Notification even dated 29th May 2015, shall be market yard namely:—

PLACE

An area of 6.747 Hectore's land of below mentioned Khasra number at Munispal Corporation Chanderi in Tehsil Chanderi of District Ashoknagar.

S. No.	Khasra No.	Area (In Hector)
1	190/1	6.747
	Total . .	6.747

BOUNDED BY

On the North by—Approved Land of Cowshed.
On the South by—Land of Survey No. 189.
On the East by—Mungawali Chanderi road.
On the west by—Land of Survey No. 180.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

Bhopal, the 29th May 2015

No. D-15-6-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (2) of section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even Number, dated 25 March 2015 the following area of Chanderi of district Ashoknagar shall be market area:—

AREA

(1) An area within the limit of Munispal Corporation Chanderi in Tehsil Chanderi of District Ashoknagar.

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the mark yard namely.

(1) Pranpura (2) Singpur Chalda (3) Phatehabad (4) Tagari (5) Singpur tal (6) Imaliya (7) Ramnagar (8) Saray (9) Sayamgarh (10) Katiyapura (11) Dhimroli (12) Baniyadana (13) Rudrapur (14) Bhojpur (15) Takari (16) Kohapoha (17) Madhroli (18) Kotra (19) Nanakpur (20) Thanpur (21) Chanderi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2015—ज्येष्ठ 8, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-6-2015-चौदह-3 दिनांक 25 मार्च, 2015 के द्वारा राज्य सरकार ने अशोकनगर जिले की चन्देरी तहसील के समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये चन्देरी में पृथक मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी.

अतएव कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में अशोकनगर जिले की तहसील चंदेरी के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये चंदेरी में पृथक मंडी स्थापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th May 2015

No. D-15-6-2015-XIV-3.—Whereas, vide this department Notification No. D-15-6-2015-XIV-3 dated 25 March 2015, issued under the provision of sub-section (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973) the State Government hereby declares its intention to establish a Seperate market at Chanderi for regulating the purpose and sale of the Agricultural produce mentioned in the shedule of the said Act, including all Revenue and Forest villages of Tehsil Chanderi in Ashoknagar district.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973), the State Government hereby establish a separate market at Chanderi for regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the/act, including all revenue and forest villages of the Tehsil Chanderi in Ashoknagar district.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145-13 दिनांक 9 जून, 1953 द्वारा तत्कालीन जिला गुना अब जिला अशोकनगर की तहसील मुंगावली एवं चंदेरी के मंडी क्षेत्र मुंगावली में (जो इसमें इसके पश्चात "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-6-2015-चौदह-3 दिनांक 25 मार्च, 2015 द्वारा अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से "उक्त मंडी क्षेत्र" को अशोकनगर जिले की चंदेरी मंडी के "उक्त क्षेत्र से" विपाटित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th May 2015

No. D-15-6-2015-XIV-3.—Whereas, by this department Notification No. 6139/6628 dated 13-9-1962 issued under the provisions of section 3 of Sub-Section (3) of the Madhya Pradesh Krishi Uapj Mandi Adhiniyam 1960 (No. 19 of 1960), the State Government here by regulated the pruchase and sale of the Agricultural produce specified in

the said Notification in the area of Tehsil Mungawali and Chanderi in Ashoknagar District, (here in after referred to as the "said market area").

AND WHEREAS by this department Notification No. D-15-6-2015-XIV-3.—dated 25-03-2015 issued under the provision of clause (iii) of sub section (1) of section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government has signifies it's intention to the said Market area by split up there from the area comprising of villages situated Chanderi Tehsil of Ashoknagar district, (here in after referred to as the said area).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub secton (2) of section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here establish a seperate market at Chanderi by splitting the "Said market area" from the "said area."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 मार्च 2015 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति चंदेरी के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

नगरपालिका चंदेरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.747 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	190/1	6.747
	योग . .	6.747

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—प्रस्तावित गौशाला की भूमि.
दक्षिण में—खसरा नं. 189 की भूमि.
पूर्व में—मुंगावली—चंदेरी रोड.
पश्चिम में—खसरा नं. 180 की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th May 2015

No. D-15-6-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the

following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Chanderi has been established by this department's Notification even dated 29th May 2015, shall be market yard namely:—

PLACE

An area of 6.747 Hectore's land of below mentioned Khasra number at Munispal Corporation Chanderi in Tehsil Chanderi of District Ashoknagar.

S. No.	Khasra No.		Area (In Hector)
1	190/1		6.747
		Total . .	6.747

BOUNDED BY

On the North by—Approved Land of Cowshed.
On the South by—Land of Survey No. 189.
On the East by—Mungawali Chanderi road.
On the west by—Land of Survey No. 180.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

Bhopal, the 29th May 2015

No. D-15-6-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (2) of section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even Number, dated 25 March 2015 the following area of Chanderi of district Ashoknagar shall be market area:—

AREA

(1) An area within the limit of Munispal Corporation Chanderi in Tehsil Chanderi of District Ashoknagar.

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the mark yard namely.

(1) Pranpura (2) Singpur Chalda (3) Phatehabad (4) Tagari (5) Singpur tal (6) Imaliya (7) Ramnagar (8) Saray (9) Sayamgarh (10) Katiyapura (11) Dhimroli (12) Baniyadana (13) Rudrapur (14) Bhojpur (15) Takari (16) Kohapoha (17) Madhroli (18) Kotra (19) Nanakpur (20) Thanpur (21) Chanderi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

परिशिष्ट-2

(2) Notwithstanding what is stated in para (1) the levy of market fee in the case of only oranges & bananas shall be at the rate of rupee one for every one hundred rupee of the price.

(3) This notification shall come into force with effect from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

क्र. डी-15-28-2006-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मण्डी फीस अधिरोपित करती है :—

क्रमांक (1)	मण्डी समिति का नाम (2)	जिला (3)
1	मगरौनी	शिवपुरी
2	पोहरी	शिवपुरी
3	खनियाधाना	शिवपुरी
4	कोलारस	शिवपुरी
5	बदरवास	शिवपुरी
6	मुगांवली	अशोकनगर

(2) परन्तु यह भी कि उक्त पैरा क्रमांक-1 में विनिर्दिष्ट मण्डी फीस के स्थान पर केवल संतरे एवं केले के लिये मण्डी फीस प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रूपये की दर से अधिरोपित की जाती है.

(3) यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2009

पृ. क्र.-डी-15-28-2006-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 अक्टूबर 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd October 2009

No. D-15-28-2006-XIV-3.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 19 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby levies market fee at the rate of two rupees for every one hundred rupess of the price on fruits and vegetables in the market area of the following market committees:—

S.No. (1)	Name of the market committee (2)	District (3)
1	Magroni	Shivpuri
2	Pohari	Shivpuri
3	Khaniyadhana	Shivpuri
4	Kolaras	Shivpuri
5	Badarwas	Shivpuri
6	Mungawali	Ashoknagar